शेख अब्दुल राशिद एवं अन्य

बनाम

जम्मू एवं कश्मीर राज्य एवं अन्य

05 दिसम्बर, 2007

(एस.बी. सिन्हा एवं जे.एम. पांचाल, जे.जे.)

सेवा कानून- वरिष्ठता- पारस्परिक वरिष्ठता- पदोन्नत एवं सीधी भर्ती के मध्य- पदोन्नत कर्मचारियों को भूतलक्षी पदोन्नति- एक शासकीय आदेश के माध्यम से- वरिष्ठता सूची तैयार करने की तिथि से प्रभावी- पदोन्नत कर्मियों से पूर्व सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति कर्मियों की उपेक्षा- औचित्यतता- अभिनिर्धारित: भूतलक्षी प्रभाव से पदोन्नत किये जाने का आदेश अविधिपूर्ण है- पदोन्नति सूची में प्रविष्ट किये जाने मात्र से उस तिथि से पदोन्नत किये जाने का अधिकार प्राप्त नहीं होता- आदेश संविधि नियमों के विरुद्ध है- तथापि मौद्रिक लाभ जो पदोन्नत व्यक्तियों को दिये गये हैं, की वसूली नहीं की जावे- जम्मू एवं कश्मीर सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1956- नियम 24- जम्मू एवं कश्मीर पुलिस मैनुअल- विनियम 382, 384, 390, 392 एवं 398- जम्मू एवं कश्मीर पुलिस (राजपत्रित) सेवा में नियुक्ति नियम, 1984- नियम 5, 14 एवं 20-भारतीय संविधान, 1950- अनुच्छेद 142।

प्रशासनिक विधि- शासकीय आदेश की वैधता- अभिनिर्धारितः ऐसा आदेश तभी वैध होगा जब संविधि नियमों के अनुरूप किया गया हो।

निजी प्रत्यर्थीगण के नाम पदोन्नति सूची ई में उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किए जाने हेतु 25.04.1978 को प्रविष्ट किये गये। उन्हें स्थानापन्न आधार पर 19.05.1979 को पदोन्नत किया गया। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 01.08.1985 के द्वारा उनकी नियमित पदोन्नति, पदोन्नति सूची तैयार करने की तिथि से प्रभावी की गई। यह आदेश बाद में निरस्त किया गया, किन्तु एक अन्य आदेश दिनांक 03.12.1985 के द्वारा पदोन्नति सूची तैयार करने की तारीख से भूतलक्षी प्रभाव देते हुए पदोन्नत किए जाने का निर्देश दिया गया। अपीलार्थीगण, जिनके द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से प्रत्यर्थीगण के स्थानापन्न रूप से पदोन्नत होने से पूर्व कार्यग्रहण किया गया, के द्वारा यह रिट याचिका प्रस्तुत की गई। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थीगण को प्रत्यर्थीगण से वरिष्ठ मानते हुए याचिका स्वीकार की गई और भूतलक्षी पदोन्नति की अवधारणा नियमों के अनुरूप नहीं होना एवं जिस प्रकार से पदोन्नति दी गई है, उसे अवैध माना गया। खंड पीठ ने एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष को स्वीकार कर लिया, लेकिन न्यायसंगत विचारों पर याचिका को इस तथ्य के मद्देनजर निरर्थक माना कि प्रतिवादियों को पहले ही

पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया था जो नियमों के एक अन्य सेट द्वारा शासित था। इसलिए वर्तमान अपील प्रस्तुत की गईं हैं।

अपीलें स्वीकार करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

1. प्रत्यर्थीगण को भूतलक्षी प्रभाव से पदोन्नति दिये जाने का आदेश दिनांक 03.12.1985 प्रथम दृष्टया ही विधिपूर्ण नहीं है। जैसा कि एकल न्यायाधीश एवं खण्डपीठ द्वारा निर्णीत किया गया कि भूतलक्षी पदोन्नति नहीं दी जा सकती है, यहां तक कि सूची 'ई' में प्रविष्टि के आधार पर जम्मू एवं कश्मीर पुलिस मैनुअल के विनियम 390 भी प्रत्यर्थीगण को उस तिथि से पदोन्नति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करते है। (पैरा 14) (947-सी)

2. कोई शासकीय आदेश भी संविधि नियमों के विरुद्ध या उन्हें विफल करते हुए जारी नहीं किया जा सकता है। जम्मू एवं कश्मीर (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1956 संविधि प्रकृति के होकर जम्मू एवं कश्मीर सिविल सेवकों के संदेह निवारण और अधिकारों की घोषणा अध्यादेश, 1956 में संविधिक बल है और शासकीय आदेश इसी के अनुरूप जारी किया जाना आवश्यक था, न कि उसके विपरीत। (पैरा 15) (947-डी)

3. यद्यपि संविधि स्थानापन्न पदोन्नति का प्रावधान करती है, किन्तु यह नियमित पदोन्नति के अनुकूल नहीं है, क्योंकि स्थानापन्न पदोन्नति

के बाद भी व्यक्ति को उसके द्वारा धारित मूल पद पर अब पदावनत किया जा सकता है। उच्च न्यायालय एकल न्यायाधीश द्वारा आक्षेपित आदेश की वैधता को निर्धारित करने हेतु सही प्रकार से यह तथ्य ध्यान में लाया गया है। यह आदेश अन्यथा भी दुर्भावनापूर्ण प्रतीत होता है, क्योंकि यह अनधिकृत उद्देश्य से पारित किया गया है। यदि आदेश दिनांक 03.12.1985 को पूर्व आदेश दिनांक 01.08.1985 के साथ देखा जावे, तो सरकार का निजी प्रत्यर्थीगण के पक्ष में आदेश दिये जाने का आशय स्पष्ट है। किसी भी सरकार से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह किसी एक वर्ग के कर्मचारियों का अनुचित आधार पर पक्ष लेते हुए दूसरे वर्ग के कर्मचारियों के सद्भाविक अधिकार को विफल करे। (पैरा 20) (1948-डी-एफ)

4. तथापि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के अन्तर्गत प्रदत्त विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए निर्देश दिये जाते हैं कि इस आदेश के बावजूद यदि निजी प्रत्यर्थीगण को कोई संविधि लाभ प्रदान किया गया है, तो उसकी वसूली नहीं की जायेगी। (पैरा 21) (948-जी-एच)

बिहार राज्य एवं अन्य बनाम अखौरी सचिन्द्र नाथ एवं अन्य (1991) सप्लिमेंट्री 1 एससीसी 334, कौशल किशोर सिंह बनाम उप. शिक्षा निदेशक और अन्य (2002) 9 एससीसी 634 तथा उत्तरांचल राज्य व अन्य बनाम दिनेश कुमार शर्मा (2007) 1 एससीसी 683- पर भरोसा किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5632-35/2007

एल.पी.ए. संख्या 164/2004, 6, 19 एवं 20/2005 में जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय, श्रीनगर के अन्तिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 27.07.2005 से

परमजीत सिंह पटवालिया, एस.आर. सिंह, बिमल रॉय जाड एवं सुनीता पण्डिया अपीलार्थीगण हेतु।

जी.एम. कवूसा एवं एन. गणपथे प्रत्यर्थीगण हेतु।

न्यायालय का निर्णय एस.बी. सिन्हा, जे. द्वारा पारित किया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय, श्रीनगर, द्वारा पारित अनुमति याचिका संख्या 164/2004 एवं 6, 19 एवं 20/2005 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 27.07.2005 के विरुद्ध प्रस्तुत इस अपील में अपीलार्थीगण एवं निजी प्रत्यर्थीगण के बीच पारस्परिक वरिष्ठता का विवाद प्रश्नगत किया गया है।

3. प्रत्यर्थीगण के नाम 25.04.1978 को सूची 'ई' में अंकित किये गये थे। उन्हें 19.05.1979 को स्थानापन्न आधार पर पदोन्नत किया गया था।

4. जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा 01.08.1985 को या उसके लगभग अधिसूचना जारी कर अपीलार्थीगण की वरिष्ठता की उपेक्षा करते हुये उन्हें भूतलक्षी प्रभाव से पदोन्नत करने का निर्देश दिया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ यह भी कहा गया कि:

> ''(अ) उपरोक्त उल्लेखित याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ गैर-याचिकाकर्ता, जिन्हें पुलिस मुख्यालय के आदेश संख्या 282/1978 व 283/1978 दिनांक 25.04.1978 के द्वारा पदोन्नति सूची 'ई' में रखा गया था, उनमें से ऐसे लोगों को छोड़कर जिनके संबंध में नैतिक लांछन होने के बावजूद उन्हें पदोन्नति सूची 'ई' पर लाया गया था और अब तक एस.आई. के रूप में पदोन्नत नहीं किया गया है, केवल उनकी वरिष्ठता के उद्देश्य से एस.आई. के रूप में पदोन्नत माना जाएगा, जिस तारीख अर्थात 25.04.1978 से उन्हें सूची 'ई' में लाया गया था।
>
> (ब) जिन ए.एस.आई. को कश्मीर पुलिस कार्यालय के आदेश संख्या 288/1978 दिनांक 05.06.1978 एवं जम्मू रेंज पुलिस कार्यालय के आदेश दिनांक 158/1978 दिनांक 07.06.1978, जो आदेश 01.06.1978 से प्रभावी हुआ था, को भी एस.आई. के रूप में 24.06.1978 से वरिष्ठता के

प्रयोजन से पदोन्नत माना जाएगा एवं एस.आई. की संयुक्त वरिष्ठता सूची में उनकी वरिष्ठता के क्रम में उचित स्थानों पर स्थान दिया जाएगा।''

5. यह अनुभूत करते हुये कि उक्त आदेश को न्यायालय द्वारा अवैध ठहराया जा सकता है, दिनांक 03.12.1985 के आदेश द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया। यद्यपि उसी दिन आदेश संख्या 1263/1985 के द्वारा यह पदोन्नति 25.04.1978 से, अर्थात उस तिथि से जब प्रत्यर्थीगण को पदोन्नति सूची 'ई' में रखा गया था, भूतलक्षी प्रभाव से पदोन्नत किये जाने का निर्देश दिया गया।

6. उक्त आदेश को प्रश्नगत करते हुये अपीलार्थीगण द्वारा उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका प्रस्तुत की गई। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इस रिट याचिका को स्वीकार कर अभिमत दिया गया:

''...जब तक किसी व्यक्ति को औपचारिक रूप से उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नत नहीं कर दिया जाता, तब तक वह व्यक्ति इस बात का दावा नहीं कर सकता है कि उसे पदोन्नति सूची में योग्य उम्मीदवारों के पैनल में सूची 'ई' में रखते हुये स्थाई रूप से उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नति दी

गई है। ऐसी परिस्थिति में निजी प्रत्यर्थीगण दिनांक 25.04.1978 के आदेश के अनुसार उपनिरीक्षक के पदों पर पदोन्नत नहीं माने जा सकते हैं। उन्हें पदोन्नति सूची में रखते हुये उनका आदेश आधिकारिक प्रत्यर्थियों द्वारा प्रत्येक याचिकाकर्ता के संबंध में एक स्वतंत्र आदेश द्वारा प्रत्येक के विरुद्ध उल्लेखित शर्तों की पूर्ति के अधीन जारी किया जाना आवश्यक था।''

वरिष्ठता के प्रश्न के संबंध में, यह अभिनिर्धारित किया गया:

''यह विवादित नहीं है कि दोनों रिट याचिकाओं के याचिकाकर्ता 25.04.1979 को उपनिरीक्षक के रूप में नियुक्त किये गये हैं और उनकी वरिष्ठता तीन वर्ष के परिवीक्षाकाल के अध्यधीन उसी तिथि से आरम्भ होनी चाहिए। इस प्रकार निजी प्रत्यर्थीगण, जिनमें प्रत्यर्थी संख्या 124 से 134 सम्मिलित है एवं जिनके नाम डी.आई.जी. पुलिस कश्मीर द्वारा जारी आदेश संख्या 141/1980 दिनांक 14.04.1980 में प्रविष्ट है और जिन्हें निरीक्षक/उपनिरीक्षक जो व्यावहारिक प्रशिक्षणाधीन है, की रिक्तियों के विरुद्ध 25.04.1979 को स्थानापन्न पदोन्नति दी गई है, याचिकाकर्ताओं के ऊपर वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकते हैं। परिणामतः ऐसे

व्यक्ति/प्रत्यर्थी, जिन्हें 25.04.1979 के पश्चात पदोन्नत किया गया है, जबकि याचिकाकर्ता सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किये जा चुके थे, को याचिकाकर्ताओं से कनिष्ठ माना जाएगा। नियम 382 से 399 के अन्तर्गत निर्दिष्ट उच्च पद पर पदोन्नति के तरीके उपबंधित किये गये हैं, अविवादित खण्ड अथवा नियम 399 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति के बावजूद पुलिस महानिरीक्षक को अन्य नियमों के अतिरिक्त भी उपनिरीक्षकों के पदों पर सारवान पदोन्नति का विवेकाधिकार देते हुये मौखिक/लिखित परीक्षा आयोजित करने का विवेकाधिकार प्रदान करती है।''

जहां तक अपीलार्थीगण एवं निजी प्रत्यर्थीगण के मध्य परस्पर वरिष्ठता का प्रश्न है, स्पष्ट रूप से यह मत दिया गया है कि अपीलार्थीगण वरिष्ठ है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया कि भूतलक्षी पदों की अवधारणा पर नियमों के अन्तर्गत ही विचार किया गया है एवं जिस रीति से पदोन्नति प्रभावी की गई है, वह अवैध मानी गई थी।

7. उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश के उक्त निष्कर्षों को स्वीकार किया गया है। यद्यपि उनके द्वारा यह भी प्रतिपादित किया गया कि इस विवाद को साम्यिक अवधारणा के माध्यम से निर्णीत करने हेतु चूंकि अपीलार्थीगण के साथ-साथ निजी प्रत्यर्थीगण

को पूर्व से ही जम्मू कश्मीर पुलिस (राजपत्रित) सेवा में पुलिस उपाधीक्षक के पदों पर पदोन्नत किया गया था, जो नियमों के एक पृथक सेट द्वारा शासित था। अतः रिट याचिका निष्फल हो चुकी है एवं उपरोक्त आधारों पर उपनिरीक्षकों की वरिष्ठता सूची में प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थीगण से ऊपर रखते हुये वरिष्ठता सूची फिर से तैयार करने के विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्देश की पालना आवश्यक नहीं थी।

8. अपीलार्थीगण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता परमजीत सिंह पटवालिया ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा गंभीर त्रुटि कारित की गयी है, क्योंकि उनके द्वारा इस बिन्दु पर कोई विचार नहीं किया गया कि जब तक अपीलार्थीगण को वर्तमान नियमों के अनुसार पदोन्नति का अधिकारी नहीं माना जाता है, तब तक उनके प्रकरणों को पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए भी विचार नहीं किया जा सकता है।

9. वरिष्ठता और पदोन्नति से संबंधित प्रकरण निर्विवादित रूप से जम्मू एवं कश्मीर सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1956 (संक्षेप में ''नियम 1956'') और जम्मू एवं कश्मीर पुलिस मैनुअल द्वारा शासित होता है।

वर्ष 1956 की नियमावली के नियम 24 में यह प्रावधान है कि वरिष्ठता का निर्धारण पद पर आरम्भिक नियुक्ति के आधार पर किया जाना चाहिए। अपीलार्थीगण को 25.04.1979 को उपनिरीक्षकों के पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किया गया था। निजी प्रत्यर्थीगण तत्समय सहायक उपनिरीक्षक के रूप में कार्यरत थे। जम्मू-कश्मीर पुलिस मैनुअल के अनुसार अलग-अलग रजिस्टर संधारित किये जाते हैं। पुलिस मैनुअल के विनियम 382 में एक रैंक या ग्रेड से दूसरे रैंक या ग्रेड में पदोन्नति का प्रावधान है। विनियम 382 का खण्ड (3) इस प्रकार है:

> ‘‘(3) नामांकित पुलिस अधिकारियों के मध्य पदोन्नति को विनियमित करने के उद्देश्य से छः पदोन्नति सूचियां ए, बी, सी, डी, ई एवं एफ बनाई जाएगी। सूची ए, बी, सी एवं डी को रेंज पुलिस उप महानिरीक्षक के कार्यालय में संधारित किया जाएगा, जैसा कि नियम 386, 387, 388 एवं 389 में वर्णित होकर इसी अनुसार हेड कांस्टेबल जूनियर ग्रेड, हेड कांस्टेबल सीनियर ग्रेड एवं सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नति को विनियमित किया जाएगा। सूची ई एवं एफ को नियम 390 एवं 393(2) के अनुसार पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय में संधारित रखा जाकर इसी

अनुसार उपनिरीक्षक और निरीक्षक की रैंक पर पदोन्नति को विनियमित किया जाएगा''

11. पुलिस मैनुअल के विनियम 384 में पुलिस महानिरीक्षक के अधिकार क्षेत्र में रहे उपनिरीक्षकों और सहायक उपनिरीक्षकों को स्थानापन्न पदोन्नति दिये जाने की शक्ति भी प्रदान की गई है। विनियम 384 का खण्ड (2) स्थानापन्न पदोन्नति से संबंधित है। विनियम 390 के खंड (2) में प्रावधान है कि सूची ई में प्रविष्टि उप-निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के उद्देश्य के लिए प्रवेश बिंदु होगी, जिसमें कहा गया है:

''(2) किसी भी सहायक उपनिरीक्षक को उपनिरीक्षक के पद पर किसी मूल रिक्ति पर तब तक स्थायी नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसके द्वारा किसी पुलिस स्टेशन के स्वतंत्र प्रभार में कार्यरत रहते हुये कम से कम एक वर्ष तक उसका कार्य परीक्षण न कर लिया गया हो।''

पुलिस मैनुअल के नियम 392 में उपनिरीक्षक के पद पर अस्थायी रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया दी गई है, जिसके अनुसार ''सूची में अंकित नामों में क्रमवार पदोन्नति को महत्व नहीं देते हुये यथासंभव समान रूप से स्थानापन्न उच्च पदों पर अवसरों को दिया जाना चाहिए।'' विनियम 398 पदोन्नति रजिस्टर का प्रावधान करता है।

13. जम्मू एवं कश्मीर पुलिस (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1984, के नियम 5, 14 एवं 20 के सुसंगत प्रावधान इस प्रकार है:

"5. भर्ती की प्रक्रिया- सेवा में नियुक्ति की जाएगी -

(अ) सीधी भर्ती द्वारा

(ब) पदोन्नति द्वारा

अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट अनुपात एवं रीति से।

14. पदोन्नति द्वारा भर्ती - (1) सरकार द्वारा एक विभागीय पदोन्नति समिति गठित की जाएगी जो समय-समय पर पदोन्नति के मामलों की जांच करेगी।

(2) *** *** ***

(3) समिति उपरोक्त सूची में सम्मिलित अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड की जांच करते हुये योग्यता और उपयुक्तता के आधार पर अधिकारियों की एक चयन सूची तैयार करेगी इसमें वरिष्ठता को ध्यान में रखा जाएगा।

20. वरिष्ठता सूचियों का संधारण- सेवा के सदस्यों की वरिष्ठता को जम्मू एवं कश्मीर सिविल सेवा (वर्गीकरण,

नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1956 के अन्तर्गत विनियमित किया जाएगा। प्रशासनिक विभाग सेवा की प्रत्येक ग्रेड में अद्यतन एवं अंतिम वरिष्ठता सूचियां तैयार करेगा।"

14. यह विवादित नहीं है कि यदि दिनांक 03.12.1985 के आदेश को अपास्त कर दिया जाता है, तो अपीलार्थीगण प्रत्यर्थीगण से वरिष्ठ रहेंगे।

दिनांक 03.12.1985 का आदेश विधि की दृष्टि से प्रथम दृष्टया अनुचित है। जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश एवं इसी के साथ खण्डपीठ द्वारा निर्धारित किया गया कि सूची 'ई' में भूतलक्षी प्रभाव से कोई भी पदोन्नति नहीं दी जा सकती है। जम्मू एवं कश्मीर पुलिस मैनुअल के विनियम 390 के अन्तर्गत प्रत्यर्थीगण को उस तिथि से पदोन्नत करने का अधिकार प्रदान नहीं करती है।

15. संविधि अधिनियम की बात तो दूर की है, वैधानिक नियमों के विपरीत भी कोई शासकीय आदेश जारी नहीं किया जा सकता। नियम जम्मू-कश्मीर सिविल सेवकों के संदेह निवारण और अधिकारों की घोषणा अध्यादेश, 1956 के अन्तर्गत वैधानिक प्रकृति के होकर वैधानिक बल रखते हैं। शासकीय आदेश इन्हीं नियमों के अनुसार जारी किया जाना आवश्यक था, न कि उसके उल्लंघन में।

बिहार राज्य एवं अन्य बनाम अखौरी सचिन्द्र नाथ एवं अन्य (1991) सप्लिमेंट्री 1 एससीसी 334 में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया:

> ''...यह एक सुस्थापित स्थिति है कि किसी भी व्यक्ति को भूतलक्षी प्रभाव से उस तिथि से पदोन्नत नहीं किया जा सकता जिस तिथि पर उसके द्वारा कैडर में प्रवेश ही नहीं किया गया था और इस प्रकार अन्य व्यक्तियों के अधिकार विपरीत रूप से प्रभावित भी नहीं किये जा सकते हैं। इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों से यह भी सुस्थापित है कि समान ग्रेड के सदस्यों के मध्य वरिष्ठता का क्रम उनके सेवा में आरम्भिक प्रवेश की तिथि से गणना योग्य होगा....''

कौशल किशोर सिंह बनाम उप. शिक्षा निदेशक और अन्य (2002) 9 एससीसी 634, में इस न्यायालय ने विधि को इस प्रकार कहा:

> ''5. कर्मचारी की वरिष्ठता का निर्धारण सदैव किसी विशेष ग्रेड या कैडर में किया जाएगा, यह विधि नहीं है कि एक ग्रेड या कैडर की वरिष्ठता दूसरे ग्रेड या कैडर की वरिष्ठता पर निर्भर होगी''

उत्तरांचल राज्य व अन्य बनाम दिनेश कुमार शर्मा (2007) 1 एससीसी 683, में यह अभिमत दिया गया:

"34. वरिष्ठता निर्धारण में कर्मचारी का भर्ती वर्ष के बावजूद यह रिक्ति उत्पन्न होने की वर्ष की सुसंगतता एक विचार योग्य बिन्दु है। यहां प्रत्यर्थीगण द्वारा यह तर्क दिया गया कि रिक्ति वर्ष 1995-96 में उत्पन्न हुई थी, अतः उसे पदोन्नति एवं वरिष्ठता वर्ष 1999, जब उसका वास्तविक नियुक्ति पत्र अपीलार्थी द्वारा जारी किया गया, के स्थान पर पूर्व से ही अर्थात रिक्ति उत्पन्न होने की तिथि 1995-96 से दी जानी चाहिए। इस बात की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि किसी भी नियुक्ति आदेश को नियमों के अन्तर्गत भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जा सकता है और यह तर्क सामान्य व्यवहार में उचित भी नहीं है। इस न्यायालय द्वारा यही विचार जगदीश चन्द्र पटनायक बनाम उड़ीसा राज्य में अपनाया गया था।"

20. इसी प्रकार यद्यपि संविधि स्थानापन्न पदोन्नति देने का प्रावधान करता है, किन्तु यह इस संदर्भ में अनुकूल नहीं है कि स्थानापन्न पदोन्नति प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति उसके द्वारा धारित मूल पद पर पदावनत किया जा सकता है। हमारे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वरिष्ठता का निर्धारण स्थायीकरण की तारीख से किया जाएगा, बल्कि हमारा आशय उन नियमों की ओर संकेत करना है जिनमें स्थानापन्न

पदोन्नति का प्रावधान किया गया है, जिसके संबंध में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा आक्षेपित आदेश की वैधता का निर्धारण करते समय इस कारक को भी ध्यान में रखते हुये सही अभिमत दिया है। इसके अतिरिक्त भी दिनांक 03.12.1985 का आदेश दुर्भावनापूर्ण प्रकट होता है, क्योंकि यह अनाधिकृत उद्देश्य से पारित आदेश रहा है। यदि इस आदेश दिनांक 03.12.1985 को पूर्व आदेश दिनांक 01.08.1985 के साथ देखा जाये, तो सरकार द्वारा निजी प्रत्यर्थीगण को फायदा पहुंचाने हेतु उनके पक्ष में आदेश दिये जाने का आशय स्पष्ट हो जाता है। किसी भी सरकार से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह किसी एक वर्ग के कर्मचारियों का अनुचित पक्ष लेते हुये दूसरे वर्ग के कर्मचारियों के सद्भाविक दावे को विफल करे। इसलिए हमारा यह मत है कि आक्षेपित निर्णय स्थिर रखे जाने योग्य नहीं होने से अपास्त किया जाता है। अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

21. तथापि, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के अन्तर्गत इस न्यायालय के विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुये निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश के बावजूद यदि निजी प्रत्यर्थीगण को किसी प्रकार का कोई मौद्रिक लाभ प्रदान किया गया है, तो उसकी वसूली नहीं की जावें।

के.के.टी.

अपीलें स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक न्यायिक अधिकारी नंदिनी व्यास, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।